



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.05.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5) /317(2)बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उनकी निशांदाही पर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2025
को वादी श्री योगेन्द्र
सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह
हाल प्रबंधक
सीएमएसमेरठ निवासी
तेजबिहार रोहटा रोड
थाना कंकरखेड़ा
जनपद मेरठ ने लिखित
तहरीर दी कि
अभियुक्तों 1-गौरव



तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस कम्पनी मे कस्टोडियन का कार्य करते हुये, बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/61(2)/317(2)बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को पुलिस

अभिरक्षा रिमाण्ड में लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर गबन किये गये रूपयों में से 5,00,000 रूपये बरामद हुए हैं एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में गबन की गयी राशि 5,26,12,700 रूपयों में से 4,97,00,000 रूपये बरामद किये जा चुके थे व 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) रूपये और बरामद किये गये हैं। अब तक कुल 5,02,00,000 रूपये बरामद किये जा चुके हैं।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सौरभ तोमर पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी (अंगदपुर जौहड़ी) थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- कुलदीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी (अंगदपुर जौहड़ी) थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 5,00,000/- रूपये।



अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0166/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस व मु0अ0सं0 0189/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 गैस सिलेण्डर व 4,000 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.04.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके कमरे का ताला तोडकर अलमारी से 01 सोने की चैन व 25,000 रु0 चोरी कर लिए गए हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 166/25



धारा 331(4)/305 बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 13.04.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री कुलदीप पुत्र फेरु निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके घर से एक सिलेण्डर व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली

बागपत पर मु0अ0सं0 0189/2025 धारा 303(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0166/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस व मु0अ0सं0 0189/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 गैस सिलेण्डर व 4,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र सलेकचन्द निवासी मौहल्ला मुगलपुरा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण -

- एक गैस सिलेण्डर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0189/2025 धारा 303(2) बीएनएस)
- चोरी किए गए रूपयों में से 4000/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0166/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 12 धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 1011 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 556 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 81 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 07.05.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 148/25 धारा 4/25 आयुध

अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिल पुत्र इन्तजार निवासी मौहल्ला शेखपुरा करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 278/24 धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 303/24 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 315/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/331(4) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल चौहान थाना खेकडा ।

2-है0का0 337 अमित कुमार थाना खेकडा ।

3-का0 250 कोमल थाना खेकडा ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 07.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र सतपाल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।